रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227532
CG-DL-E-12062021-227532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 166] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) – 11/2021

विषय: रूस जॉर्जिया तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अमोनियम नाइट्रेट" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत ।

फा. सं. 7/11/2021-डीजीटीआर.— मै. स्मार्टकैम टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान के मूल के अथवा से निर्यातित "अमोनियम नाइट्रेट" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान के मूल के और वहां से निर्यात संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है और इन देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2016 की अधिसूचना के माध्यम से रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच पूर्व में शुरू की गई थी। जांच के अनुपालन में प्राधिकारी ने दिनांक 1 अगस्त, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/1/2016-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 44/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लागू किया गया है। उक्त शुल्क शुल्क 11 सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाले हैं।

विचाराधीन उत्पाद

4. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) वहीं है जो कि पूर्व की जांच में था, अर्थात "अमोनियम नाइट्रेट चाहे प्रील्ड, दानेदार या अन्य ठोस रूप में हो और अभिवर्धकों या कोटिंग सहित अथवा उसके बिना हो और जिसका बल्क घनत्व 0.83 जी/सीसी से अधिक हो।"

5. अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के प्रयोग से उत्पादित एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH_4NO_3 है। प्रील्स में 1.0 मिमि. से 2.5 मिमि. के बीच व्यास सहित गोलाकार होता है। अमोनियम नाइट्रेट के दाने बड़े आकार के होते हैं। संबद्ध वस्तु की शुद्धता उसकी सैल्फ लाइफ में सुधार करने के लिए मिलाए गए अभिवर्धकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विभिन्न रूपों में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ जलीय विनियन बनाने के लिए जल में घोला जाता है। चूंकि विलियन बनाने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया के लिए आकार या अभिवर्धक महत्व नहीं रखते हैं और विभिन्न रूपों, आकारों और शुद्धता में संबद्ध वस्तु डाउन स्ट्रीम उद्योगों द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है।

6. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग स्लरी आधारित और इमल्सन आधारित विस्फोटकों के विनिर्माण में होता है, जिन्हें बाद में खनन और अवसंरचना के प्रयोग हेतु उपयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को कई देशों में उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तथापि, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत इसे उर्वरक की परिभाषा में शामिल नहीं किया है।

7. संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए अमोनिया की नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया की जाती है। नाइट्रिक एसिड विलियन आम तौर पर ऑक्सीजन के साथ अमोनिया को मिलाकर बनाया जाता है जिसे बाद में जलीय अमोनियम नाइट्रेट विलियम बनाने के लिए निष्क्रियकरण चैम्बर में शेष अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया हेतु डाला जाता है। इस विनियन को पिघले हुए सांद्रण या मैल्ट हेतु गर्म किया तथा वाष्पीकृत किया जाता है। इस सांद्रण या मेल्ट से रोटरी पैन में सामग्री की परत बनाकर दाने उत्पादित किये जा सकते हैं या प्रिल को विशेष रूप से डिजाइन की गई टावर में पिघले हुए अमोनियम नाइट्रेट की बूंदों को स्प्रे करके उत्पादित किया जा सकता है, जिसमें ठंडी हवा के ऊपरी प्रवाह के जरिए पिघली बूंदों को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। फिर ये गिरते समय छोटे गोलों में ठोस बन जाती हैं। स्टेपलाइजर, अभिवर्धक या कोटिंग सामग्री आर्द्रता के अवशोषण को रोकने के लिए दानों या प्रिल में मिलाई जा सकती है।

8. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 31 के उप शीर्ष 31023000 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया तथा ईरान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपण तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते है। । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिसथापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन मै. स्मार्टकैम टैक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक ने जांच अवधि के दौरान रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया तथा ईरान से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । इसके अलावा आवेदक इन देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पादक के सिकी आयातक से संबंधित हैं ।

11. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है।

जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे यहां आगे ''पीओआई'' भी कहा गया है) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की है । क्षति अवधि में 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019- 31 मार्च, 2020 की अवधियां और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी ।

संबद्ध देश

13. आवेदक ने रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । आवेदक ने दावा किया है कि रूस और ईरान से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन काफी अधिक है तथा यह भी कि रूस और ईरान से पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आगे जारी रहने की संभावना है । आवेदक ने तीसरे देशों में रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन का भी दावा किया है, रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया तथा ईरान में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता रखे जाने , रूस में उत्पादकों द्वारा क्षमता के विकास, शुल्क लागू होने के पहले भारतीय बाजार की प्रमुखता, जिसके विरूद्ध व्यापार उपचारात्मक उपायों के लागू होने के कारण रूस के उत्पादकों का निर्यात बाजार गंवाना, घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के संभावित ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव, भारतीय बाजार के कीमत आकर्षक होने और रूस में प्राकृतिक गैस की कीमतों में विकृतियों का दावा भी किया है ।

14. प्राधिकारी ने नोट किया है कि रूस और ईरान से संबद्ध वस्तु का पाटन प्रथमदृष्टया जारी है और इन देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना है ।

15. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि यदि जॉर्जिया से संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क समाप्त हो जाता है, तो यद्यपि जार्जिया के संबंध में 2018-19, 2019-20 और पीओआई में भारत में संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है । तथापि, जॉर्जिया से अन्य देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यातों की प्रवृति तथा जॉर्जिया में अतिरिक्त क्षमताएं संबद्ध सस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की प्रथमदृष्टया प्रबल संभावना दर्शाती है ।

16. इंडोनेशिया के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न तो 2018-19, 2019-20 तौर पीओआई में भारत को संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात हुआ है और न ही इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयात पर शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इंडोनेशिया द्वारा पाटन की संभावना के कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

17. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्द्वारा रूस, जार्जिया और ईरान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या इन देशों पर ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

18. अत:, इस जांच में संबद्ध देश रूस, जॉर्जिया तथा ईरान हैं।

कथित पाटन का आधार

रूस के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने दावा किया है कि उनके पास रूस में अद्यतन घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं है। तथापि, उन्होंने 2019 में रूस में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत संबंधी सूचना दी है। इसमें 2019 और जांच अवधि के बीच निर्यात कीमत में परिवर्तन के आधार पर समायोजन किया गया है ताकि जांच अवधि के दौरान रूस के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित हो सके। तथापि, प्राधिकारी ने आवेदक के दावे को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि आवेदक द्वारा भरोसा किए गए आंकड़े हाल के नहीं थे। अत: प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ तर्कसंगत लाभ सहित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

ईरान के लिए सामान्य मूल्य

20. आवेदक ने दावा किया है कि ईरान के लिए सामान्य मूल्य सार्वजनिक सूचना के अभाव में घरेलू बिक्री कीमत या उस देश से निर्यातों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सका। आवेदक ने यह भी बताया है कि ईरान में उत्पादन लागत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार, सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ सहित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

21. प्राधिकारी ने कि रूस के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा और कमीशन हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं।

ईरान के लिए निर्यात कीमत

22. प्राधिकारी ने कि ईरान के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा और कमीशन हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं।

इंडोनेशिया तथा जॉर्जिया के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

23. चूंकि जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया और जॉर्जिया से विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं हुए हैं, इसलिए इन देशों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित नहीं किया गया है।

पाटन मार्जिन

24. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया ईरान तथा रूस से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक पाटन मार्जिन दर्शाती है। जांच अवधि के दौरान जॉर्जिया और इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुए हैं तथा तद्नुसार, कोई पाटनमार्जिन निर्धारित

नहीं किया जा सकता है । इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि ईरान और रूस के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

क्षति तथा कारणात्मक संबंध के जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना

25. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से सांक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और उपलब्ध तथ्यों से स्वयं संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्टया निष्कर्ष निकालते हैं कि रूस, जॉर्जिया और ईरान, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना है।

प्रक्रिया

26. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 1 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 14/1/2016-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे, जिनमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । प्राधिकारी यथाअपेक्षित पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।

27. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

28. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

29. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 28 में यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

34. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

35. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

36. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

37. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

38. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

40. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

41. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

42. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

43. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

<u>असहयोग</u>

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

(Case No.AD (SSR) – 11/2021)

Subject: Initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of "Ammonium Nitrate" originating in or exported from Russia, Georgia and Iran.

F.No.7/11/2021-DGTR.—M/s. Smartchem Technologies Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application seeking initiation of sunset review investigation in respect of anti-dumping duty imposed on the imports of Ammonium Nitrate (hereinafter referred as the "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules").

2. The Applicant has alleged that expiry of anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and has requested for continuation of the anti-dumping duty levied on the import of the subject goods originating in or exported from these countries.

Background

3. The Authority had earlier initiated an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran vide Notification dated 5th August, 2016. Pursuant to the investigation, the Authority, vide Final Findings Notification No. 14/1/2016 – DGAD dated 1st August, 2017, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty, which was given effect by the Central Government vide Notification No. 44/2017 – Customs(ADD) dated 12th September, 2017. The said duties are to expire on 11th September, 2022.

Product under consideration

4. The product under consideration (PUC) in this investigation is same as that in the earlier investigation, that is, "Ammonium nitrate whether prilled, granular or in other solid form, with or without additives or coating and having bulk density in excess of 0.83 g/cc."

5. Ammonium nitrate is a chemical compound produced using ammonia and nitric acid and has the formula NH_4NO_3. The prills have a spherical shape with diameter between 1.0 mm to 2.5 mm. Ammonium nitrate granules are larger sized. The purity of the subject goods depends upon the quantity of additives added to improve its shelf life. Ammonium nitrate in various forms is dissolved in water to make aqueous solution for the purpose of manufacturing explosives. Since it is used for making a solution, the size or additives are not material for the downstream process and subject goods in various forms, sizes and purity are used interchangeably by the downstream industry.

6. The product under consideration is used in manufacturing slurry-based and emulsion-based explosives which are in turn used for mining and infrastructure purposes. The product under consideration is also used as a fertiliser in many countries. However, in India it is not included under the definition of fertilisers under the Fertiliser Control Order, 1985.

7. To manufacture the subject goods, Ammonia is reacted with nitric acid. Nitric acid solution is generally formed by combining a portion of the ammonia with oxygen, which is then reacted with the remaining ammonia in a neutralisation chamber to form an aqueous ammonium nitrate solution. This solution is heated and evaporated to a molten concentration or melt. From this concentration or melt, granules can be produced by layering material in a rotary pan or prills can be produced by spraying molten ammonium nitrate droplets into specially designed towers, in which the molten droplets free fall through an upward current of cool air, solidifying into small spheres as they fall. Stabilizers, additives or coating agents may be added to the granules or prills in order to prevent moisture absorption.

8. The product under consideration is classified under the Chapter 31 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the sub-heading 31023000. However, the customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

Like Article

9. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and product under consideration imported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions &uses, product specifications, pricing, distribution &marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran.

Domestic industry and Standing

10. The application has been filed by M/s.Smartchem Technologies Limited. The Applicant has claimed that it is the sole producer of the like goods in India. The Applicant has not imported the subject goods from Russia, Indonesia, Georgia and Iran during the period of investigation. Further, the Applicant is not related to any exporter or producer of subject goods in these countries or any importer of product under consideration in India.

11. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) of the Rules.

Period of investigation

12. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") in the present investigation is 1stJanuary, 2020 to 31st December, 2020. The injury period will cover the periods 1st April, 2017-31st March, 2018, 1st April, 2018-31st March, 2019, 1st April, 2019-31st March, 2020 and the period of investigation.

Subject countries

13. The Applicant has submitted the application for initiation of sunset review investigation against the import of the subject goods originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran. The Applicant has claimed that dumping of the subject goods from Russia and Iran has continued and the dumping margin is significant during the POI and further that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to continue from Russia and Iran. The Applicant has also claimed dumping of the subject goods by Russia, Indonesia and Georgia in the third countries; surplus capacities held by the producers in Russia, Indonesia, Georgia and Iran; expansion of capacity by the producers in Russia; prominence of Indian market before the imposition of duty; loss of export market to the producers of Russia due to imposition of trade remedial measures against it; likely suppressing and depressing effect of imports on the prices of the domestic industry; price attractiveness of the Indian market and distortions in the natural gas prices in Russia.

14. The Authority has noted that, prima facie, dumping of the subject goods has continued from Russia and Iran and there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in respect of the imports of the subject goods from these countries.

15. The Authority has further noted that though in respect of Georgia, there is no export of the subject goods to India in 2018-19, 2019-20 and the POI, yet the trend of exports of the subject goods from Georgia to other countries coupled with surplus capacity in Georgia shows strong prima facie likelihood of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry if the duty is allowed to expire in the case of imports of the subject goods from Georgia.

16. In respect of Indonesia, the Authority has noted that on the basis of evidence on record, there is neither any export of the subject goods to India in 2018-19, 2019-20 and the POI nor is there any prima facie evidence of likelihood of Indonesia resorting to dumping in the event duty is allowed to expire on the import of the subject goods from Indonesia.

17. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself of the facts available, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates the sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from Russia, Georgia and Iran (hereinafter also referred to as the "Subject Countries") and to examine whether the expiry of such duty in respect of these countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

18. The subject countries for this investigation, therefore, are Russia, Georgia and Iran.

Basis of Alleged Dumping

Normal value for Russia

19. The Applicant has claimed that it did not have access to information regarding the latest domestic selling price in Russia. However, it has provided information with regard to domestic selling price in Russia prevailing in 2019. The same have been adjusted based on the change in export price between 2019 and the period of investigation, to determine the normal value for Russia during the period of investigation. The Authority has, however, not accepted the claim of the Applicant because the data relied upon by the Applicant was not recent. The Authority has, therefore, constructed the normal value based on the cost of production of the domestic industry with reasonable profit for the purposes of the present initiation.

Normal value for Iran

20. The Applicant has claimed that the normal value for Iran could not be determined based on the domestic selling price for want of public information or on the basis of exports from the country. The Applicant has further submitted that information with regard to cost of production in Iran is not available. Accordingly, the normal value has been constructed on the basis of cost of production in India along with selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

Export price for Russia

21. The Authority has computed the export price for Russia based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission.

Export price for Iran

22. The Authority has computed the export price for Iran based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission.

Normal value and export price for Indonesia and Georgia

23. Since there are no imports of the product under consideration from Indonesia and Georgia during the period of investigation, normal value and export has not been determined for these countries.

Dumping Margin

24. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under consideration from Iran and Russia. During the period of investigation, there are no imports from Georgia and Indonesia and accordingly, no dumping margin can be determined. There is prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from Iran and Russia.

Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

25. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself of the facts available, the Authority prima facie concludes that there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in respect of the imports of the subject goods from Russia, Georgia and Iran, the subject countries.

Procedure

26. The present sunset review will cover all aspects of the Final Findings of the original investigation published vide Notification No. 14/1/2016 – DGAD dated 1st August, 2017 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration from the subject countries. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

27. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Anti-Dumping Rules will be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

28. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and ac11-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

29. The known exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

30. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email address mentioned in paragraph 28 above.

31. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

32. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and ac11-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

34. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR, i.e., www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information on confidential basis

35. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

36. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

37. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

38. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information

is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

39. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

42. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

43. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

44. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.12 17:21:25 +05'30'